1	2	3	4
11.	004401	श्री शाह भिकुभाई छोटालाल, गोल्ड मोहर, 1ला मजला, प्रिंसेस स्ट्रीट, मुम्बई-400002 ।	27-12-95
12	008660	श्री शाह दिनेश छिनुभाई, ब्लाक नं. 20, 3रा मजला, यशवंत नगर, 53 एस. वी. रोड, अंधेरी (प), मुम्बई-400058	13-3-95
13	009846	श्री मेनन गुलाम हुसैन, मार्फत : एम. जी. पांडोर, मोटाभिमा मनराल, पोस्ट आफिस के सामने, पटेल स्ट्रीट, सूरत-394410	8-12-95
14.	009895	श्री कोएल्हो जोसेफ, फ्लेट नं. 11, 1ला मजला, 51, चिंगबाई रोड, बांद्रा (प) मुम्बई-400050	12-2-95
15.	011691	श्री अब्दुल्ला सैयद अहमद, 1 नवबहार को-आप. हाउसिंग सोसायटी, ललभाई, अंधेरी, मुम्बई-400056	16-7-95
16.	012352	श्री मेहता सुहास मनीलाल, 1ला मजला, फ्लेट नं. 2, साई विजय अपार्टमेंट्स, 696 शाहापुरी, कोल्हापुर- 426001	14-5-95
17.	013698	श्री जंडालिया शिव राज, 53, राजवीर चेंबर्स, 6वां मजला, 12/14, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुम्बई-400023	1-10-94
18.	013731	श्री मोहीते गुलाब रघुनाथराव, 1086 सदाशिव पेठ, 2रा मजला, शनिवार पेठ, पुणे411030	23-1-96
19.	014950	श्री खामले विजयकुमार केशव, 8, उदधम मिया महमद कोटानी रोड, नासिक, मुम्बई-400016	25-06-95
20.	015511	श्री कामदार हरीश रमेश, मेंडोस हाउस, 2सरा मजला, नागीदास मास्टर रोड, मुम्बई-400023	28-08-95
21.	017245	श्री रविचंद्रन आर., 7, थिरुश्री हिमालया, घाटकोपर (पश्चिम), मुम्बई-400084	31-03-94
22.	017597	श्री देशपांडे भालचंद्र, के., 220, वेस्ट विव, 2सरा मजला, सर भालचंद्र रोड, माटूंगा, मुम्बई-400019	31-12-94
23.	030607	श्री राठोड मुन्नालाल मोतीचन्द, मनोधार्य जी-2, 39, प्रकाश रोड, अंधेरी (प.), मुम्बई-400058	24-03-95
24.	034242	श्री जोशी जयंतीलाल देवशंकर, 16, भगत निवास, एस. वी. रोड, कांदिवली (प), मुम्बई-400067	08-10-95
25.	036812	श्री गोपालकृष्णा रामास्वामी, नं. 4, शांती प्लाट नं. 84, रोड नं. 2, चेंबूर, मुम्बई-400071	01-04-95
26.	042770	कु. वेंकटेश्वरन प्रभा, 305, साई सदन, मोदी स्ट्रीट, मुम्बई-400001	13-11-95

ए. के. मजुमदार
सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

नई दिल्ली-110002, दिनांक 14 जून 1996

सं. एफ. 28-3/96-एन. सी. टी. ई.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (1993 की संख्या 73) के खण्ड 32 के उप खण्ड (2) की धारा (द) के उप खण्ड (ii) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसे खण्ड 12 की

Attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

धारा (ङ) के साथ पढ़ा जाए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाए गए हैं :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (नियमित सेवारत अध्यापकों के लिए पत्राचार माध्यम से बी. एड. के लिए (दिशा निर्देश) विनियम, 1996 है।

(2) ये विनियम 7 दिसम्बर, 1995 से लागू माने जाएंगे।

2. किस पर लागू है :

ये विनियम विश्वविद्यालयों, उनकी घटक इकाइयों, खुले/मुक्त विश्वविद्यालयों सहित, उनका चाहे जो भी नाम या पद्धति हो, शिक्षण संस्थानों द्वारा आमने-सामने के पठन-पाठन के माध्यम के अतिरिक्त पत्राचार/दूरवर्ती शिक्षा माध्यम या किसी अन्य माध्यम से चलाए जाने वाले बी. एड. स्नातक पाठ्यक्रम पर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं

संदर्भ के अनुसार जब तक कोई अन्यथा अर्थ न हो, इन विनियमों में—

(1) "अधिनियम" का अर्थ है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (1993 का संख्या 73)।

(2) अन्य सभी शब्दों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम के खण्ड 2 में उनका अर्थ है।

4. दिशा-निर्देश

उपर्युक्त विनियम 2 में उल्लिखित पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान साथ के अनुबन्ध में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।

सुरेन्द्र सिंह
सदस्य सचिव

सेवारत अध्यापकों के बी. एड. पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए दिशा-निर्देश

अधिक्षेत्र : प्रत्येक विश्वविद्यालय केवल उन्हीं प्रत्याशियों को प्रवेश देगा जो इस समय उस विद्यालय में काम कर रहे हैं, जो इस अधिनियम/राज्य सरकार द्वारा उसके लिए निर्धारित भू-भागीय अधिक्षेत्र में स्थित है।

पात्रता के लिए मानदण्ड : स्नातक या अन्य स्तरों पर प्राप्त अंकों के आधार पर दाखिले के लिए निर्धारित प्रवेश सम्बन्धी योग्यताएं वही रहेंगी जो अध्यापकों की भर्ती के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हैं अथवा नियमित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए निर्धारित हैं। दाखिला एक लिखित प्रवेश परीक्षा के बाद किए जाएंगे।

पाठ्यक्रम : माध्यमिक अध्यापकों के लिए बी. एड. का दूरवर्ती शिक्षा माध्यम।

स्थान संख्या : किसी भी निर्धारित शिक्षा सत्र में कोई भी विश्वविद्यालय 500 से अधिक प्रत्याशियों को दाखिला नहीं देगा।

अवधि : बी. एड. पाठ्यक्रम के लिए 24 माह : प्रवेश परीक्षा, दाखिला आदि जैसी औपचारिकताएं पूरी करने में लगे समय को छोड़कर।

शिक्षण-शुल्क : वही जो विश्वविद्यालय के अन्य बी. एड. के प्रत्याशियों पर लागू है। किन्तु मुद्रित सामग्री, श्रव्य-दृश्य सामग्री, डाकखर्च, पुस्तकालय सेवाएं, आदि के खर्च के रूप में विद्यार्थियों से अतिरिक्त शुल्क भी लिया जा सकता है।

प्रवेश के लिए योग्यताएं : केवल वही नियमित अध्यापक जो विश्वविद्यालय के अधिक्षेत्र में स्थित मान्यता-प्राप्त विद्यालयों (प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक) में काम कर रहे हैं और जिन्हें पढ़ाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव है।

कार्यक्रम के संघटक भाग

(क) दूरवर्ती शिक्षा के लिए उपयुक्त फार्मेट में स्वयं पढ़कर शिक्षा ग्रहण करने के लिए पर्याप्त मुद्रित पाठ्यक्रम सामग्री। नमूने के रूप में मुद्रित सामग्री का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित समिति द्वारा मूल्यांकन होना चाहिए।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जनसंचार केन्द्रों, सी. आई. ई. टी. तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से परामर्श करके दृश्य-श्रव्य सामग्री (पैकेजेज) की व्यवस्था।

(ग) नियमित निर्दिष्ट कार्य (एसाइनमेंट) जिसका निर्धारित समय के भीतर मूल्यांकन हो। प्रति सिमेस्टर और प्रत्येक प्रश्नपत्र/पाठ्यक्रम के लिए एक एसाइनमेंट (निर्दिष्ट कार्य) रहेगा।

(घ) चार सप्ताह की अवधि के लिए इन्टर्नशिप (आवासी शिक्षण) जिसके दौरान प्रशिक्षु अध्यापक उस विद्यालय में जहां वे कार्यरत हैं, कम से कम 40 पाठ्य पढ़ाने का काम प्रशिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों के ढ़ाने का काम प्रशिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों के विभागों के नियमित अध्यापक-शिक्षकों के पर्यवेक्षण के अधीन होगा।

(ङ) बारह सप्ताह अर्थात् प्रति दिन छः घंटे के अनिवार्य संपर्क कार्यक्रम के 72 दिन। ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय के विभागों/प्रशिक्षण महाविद्यालयों व निर्धारित योग्यता रखने वाले अध्यापक-प्रशिक्षकों द्वारा ही चलाए जाएंगे, कोई और इन्हें नहीं चला सकेगा। इस अवधि के दौरान, यह देखने के लिए वि अपनी इन्टर्नशिप के दौरान प्रत्याशी अध्यापन कार में किस सीमा तक दक्षता हासिल कर सके हैं विशेषज्ञों द्वारा उनका साक्षात्कार लिया जाएगा किसी भी संपर्क कक्षा में, एक समूह में, 50 से अधिक अध्यापक-प्रशिक्षार्थी नहीं रहेंगे।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

116

(च) संपर्क कार्यक्रमों के लिए निर्धारित अवधि को छोड़कर परीक्षाएं अन्य निर्धारित दिनों में ली जाएंगी । संपर्क/व्यावहारिक कार्यक्रमों में कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी । उपस्थिति में छूट, जो 20 प्रतिशत से अधिक मामलों में ही दी जाएगी, अपवादस्वरूप केवल विशेष मामलों में ही दी जाएगी, सामान्य नियम के रूप में नहीं ।

कर्मचारी वर्ग : प्रत्येक 500 विद्यार्थियों के समूह के लिए दस प्रमुख शिक्षण (कोर फैकल्टी) तथा दस अतिरिक्त अंशकालिक दक्ष शिक्षक (स्ट्रांग फैकल्टी) रहेंगे । नियमित पूर्णकालिक प्रमुख शिक्षक-वर्ग की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा भर्ती के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार होगी । अंशकालिक शिक्षक वर्ग की भी समान योग्यताएं होनी चाहिए और किसी व्यक्ति को जो 65 वर्ष की आयु का हो चुका है, अंशकालिक शिक्षक वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा ।

सुरेन्द्र सिंह
सदस्य सचिव

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
मुम्बई, दिनांक 17 जून 1996

सं. यूटी/डीबीडीएम/आर 111/एसडी 92/95-96—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अंतर्गत बनायी गयी इक्विटी सुअवसर निधि 1996 का पेशकश दस्तावेज, जिसे 8 मई, 1996 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है ।

ए जी जोशी
महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

इक्विटी सुअवसर निधि 1996

पेशकश (आफर) दस्तावेज

16 मई, 1996 से 29 जून, 1996 तक पेशकश खुली रहेगी

इक्विटी सुअवसर निधि 1996 भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 ((1963 का 52)की धारा 21 के अंतर्गत यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा बनाई गई है ।

- योजना के विवरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फण्ड) विनियम, 1993 के अनुसार तैयार किए गए हैं और जन साधारण के अभिदान हेतु पेश किए गए यूनिट सेबी द्वारा न तो अनुमोदित अथवा अस्वीकृत किए गए हैं, न ही सेबी ने पेशकश दस्तावेज की यथार्थता अथवा पर्याप्तता को ही प्रमाणित किया है ।

योजना का उद्देश्य

यह एक वृद्धि योजना है जिसका मूल उद्देश्य इक्विटीयों और इक्विटी संबंधी लिखतों में निवेश करने के जरिए निवेशकों को पर्याप्त वृद्धि प्रदान करना है ताकि वे बढ़ते हुए पूंजी बाजार का लाभ प्राप्त कर सकें ।

विशिष्टताएं

- यह एक पांच वर्षीय वृद्धि योजना है ।
- दोनों निवासी और अनिवासी वयस्क व्यक्तियों/अवयस्कों/हिन्दू अविभक्त परिवारों/न्यासों/संभितियों/पंजीकृत सहकारी समितियों/निगमित निकायों सहित कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियों/विदेशी निगमित निकायों (ओसीबी), विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए निधि खुली है ।
- आबंटन की तिथि से तीन वर्षों के बाद अर्थात् 1 जुलाई 1999 से एनएवी आधारित मूल्य पर पुनखरीद की अनुमति ।
- पुनखरीद/प्रतिदान प्राप्तियां एनआरआई, ओसीबी और एफआईआई के लिए पूर्णतया प्रत्यावर्तनीय है जहां निवेश विदेश से प्रेषित या एनआरआई खाते/एफसीएनआर जमाओं की राशि से/भारत में प्राधिकृत बैंक में रखे अनिवासी खाते से नामे करके किया जाता है ।
- बीएसई और एनएसई पर सूचीकरण ।
- पूंजी वृद्धि से पूंजीगत अधिलाभ और लाभांश पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 एल एवं धारा 48 तथा 112 के अंतर्गत कर लाभ ।

जोखिम के तत्व

- योजना के यूनिटों में निवेशों पर बाजार का जोखिम होता है और प्लान के शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का ऊपर या नीचे जाना बाजार की शक्तियों और बाजार को प्रभावित करने वाली शक्तियों पर निर्भर करता है ।
- ट्रस्ट को पहले की योजनाओं/प्लानों का कार्यनिष्पादन आवश्यक रूप से भावी परिणामों का द्योतक नहीं है । इस प्लान के लक्ष्यों की प्राप्ति का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है ।
- इक्विटी सुअवसर निधि 1996 केवल योजना का नाम है और यह किसी भी प्रकार से योजना की गुणवत्ता का संकेत नहीं देता है । निवेशकों से आग्रह किया जाता है कि इस योजना में निवेश करने से पहले पेशकश की शर्तों की सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें ।

प्रबंधन के विचार से जोखिम के तत्व

- ट्रस्ट 31 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है और इसने 4 करोड़ 80 लाख से अधिक निवेशकों से

Attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54